



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082020-221222
CG-DL-E-19082020-221222

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]
No. 408]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2020/श्रावण 28, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2020/SRAVANA 28, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2020
सं. 79/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 514(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उपधारा (1) के परंतुक और धारा 156 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, आयात शुल्क आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:

(1) इन नियमों को आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान (संशोधन) नियमावली, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. आयात शुल्क आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 में नियम 4 को निरक्षित किया जाएगा।

3. नियम 5 से 8 को अब क्रमशः नियम 4 से 7 माना जाएगा।

[फा. सं. 450/81/2016-सीमाशुल्क IV]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 134/2016- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 नवम्बर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि 1037 (अ) , दिनांक 2 नवम्बर, 2016 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 28/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि 321 (अ) , दिनांक 31 मार्च, 2017, के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2020

No.79/2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 514(E).— In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 47 and section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016, namely : —

1. **Short title and commencement :-**

(1) These rules may be called the Deferred Payment of Import Duty (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016, Rule 4 shall be omitted.

3. Rules 5 to 8 shall be re-numbered as Rules 4 to 7, respectively.

[F. No. 450/81/2016-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

Note: The principal Notification No.134/2016-Customs(N.T.) dated the 2nd of November, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1037(E), dated the 2nd November 2016, and was last amended by Notification No.28/2017-Customs(N.T.) dated the 31st of March, 2017, *vide* number G.S.R. 321(E) dated the 31st March 2017.